

4/11/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उर
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक...6/12/24...
को पेश हो।

6/12/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उर
अदालत हाजिरी में खारिज होने के कारण उर
T.I. का कोई औचित्य नहीं रहा मगर
प्राथमिक पत्र जारी त्ताए पर विस्तार किया
जाता है पत्रावली प्रकलन थुमार होकर गण्डिल
होकर होव रिगिस्ट्रार के अद हो

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

